LEGAL ACCESS & ASSOCIATES

Kripa Kumari Gurjar

(Advocate/ Attorney)

Office-105, Jagdish Enclave, Hawa Sadak
Civil Line, Jaipur 302006 Rajasthan High Court
Cont. No. +91-7737176923
E-mail: gurjarkripa@gmail.com

Date- 15/11/2021

Title Search Report

Reference of the Land:

Name of the Landowner:	Mr. Indrapal Singh
Plot No/ Khasra No.:	Khasra No. 170,
Address:	Village- Gholeta, Tehsil- Ramgarh, District-Jaipur, State –Rajasthan.
Area of the Land:	7700 sq mtr

Description of the Land:

Initially U.I.T, Alwar converted the above said agriculture land to residential purpose under Rajasthan Land revenue Act 1956 (90 - A) via letter no. 1162 dated 12/09/2019 in favor of Sh. Bhullu Ram Jhatav.

Thereafter Sh. Bhullu Ram Jhatav has submitted an affidavit (consent letter) to the local body regarding issue of lease deed in favour of Mr. Indrapal Singh and on that basis the local body has issued lease deed on 09/02/2016 in favor of Mr. Indrapal Singh Son of Mr. Moola Singh R/o, B-114, Surya Nagar, Alwar, Rajasthan-301001 which is duly registered on 10/02/2016 in the office of sub registrar Ramgarh, in its Book No. 1, Volume No. 643, Page No. 43 bearing serial No. 2016000540 and an additional copy of the same was also pasted in its additional Book No. 1 Volume No. 2021 at Page No. 175 to 180.

Thereafter U.I.T, Alwar has issued Construction Permission Letter in favor of Mr. Indrapal Singh vide Letter No. एफ-2/आयोजना/3020/16 dated 12/05/2016

Legal Access & Associates Reg. No. 172/2017 Advocate/Attorney

LEGAL ACCESS & ASSOCIATES

Kripa Kumari Gurjar

(Advocate/ Attorney)

Office-105, Jagdish Enclave, Hawa Sadak
Civil Line, Jaipur 302006 Rajasthan High Court
Cont. No. +91-7737176923
E-mail: gurjarkripa@gmail.com

As per the photocopy/ zerox of the original documents submitted by the party and details mentioned therein, I am of opinion that Mr. Indrapal Singh Son of Mr. Moola Singh R/o, B-114, Surya Nagar, Alwar, Rajasthan-301001 is the absolute owner of the land situated at Khasra No. 170, Village- Gholeta, Tehsil- Ramgarh, District- Jaipur, State – Rajasthan with total area admeasuring 7700 sq mtr and the said Land is clear, marketable and free from all encumbrance.

Legal Access & Associates
Reg. No. 172/2017
Advocate/Attorney

Adv. Kripa Kumari Gurjar

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID	RJRAM2016000830	Receipt Date	10-FEB-2016 15:57
S R Location	RAMGARH		
Receipt No	RJ1510571602257		
Name Of Seller	UIT ALWAR J INDRA PAL SINGH		
Name Of Buyer	INDRA PAL SINGH		
Type of Document	Lease Deed		
ACC Reference	NONSH/AIRAN CONSULTANTS PVT LTD/RAMGARH		

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 21070	CSI	₹ 300
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	₹ 21370	**Service Charges**	₹ 30
Grand Total	₹ 21400		

(Rupees Twenty-One Thousand Four Hundred Only)

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

कार्यालय उप पंजीयक रामगढ़ (अलवर) राज०

Certificate No.	:	IN-RJ04997367123907O
Certificate Issued Date	:	10-Feb-2016 03:55 PM
Account Reference	:	IMPACC (...) ...mp10/ RAMGARH/ RJ-AL
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJACIMP10061615165428430
Purchased by	:	INDRA PAL SINGH
Description of Document	:	Article 33(a)(i) Lease Deed (less than 20 year)
Property Description	:	KH NO 170 GOLETA TEH RAMGARH
Consideration Price (Rs.)	:	21,06,435 (Twenty One Lakh Six Thousand Four Hundred And Thirty Five only)
First Party	:	UIT ALWAR J INDRA PAL SINGH
Second Party	:	INDRA PAL SINGH
Stamp Duty Paid By	:	INDRA PAL SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,15,870 (One Lakh FifteenThousand Eight Hundred And Seventy only)

..............................Please write or type below this line..............................

उप पंजीयक
रामगढ़ (अलवर)

0002175060

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक : यू.आई.टी./एफ./आवंटन 5487/16 दिनांक 9-2-16

उपपंजियक

अलवर

विषय :– भूखण्ड/निर्मित क्वाटर/दुकान संख्या ग्रुप हाउसिंग योजना ख०न० 170 ग्राम गोलेटा

की लीज डीड पंजीकृत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भूखण्ड/निर्मित क्वाटर/दुकान की लीज डीड पंजियन हेतु आपके पास भिजवाई जा रही है। इस भूखण्ड/निर्मित क्वाटर/दुकान हेतु आवंटी से निम्न राशि प्राप्त की गई है :–

1.	भूखण्ड/निर्मित क्वाटर/दुकान की कीमत	985363=00
2.	निर्मित क्वाटर की लागत विकास शुल्क	924000=00
3.	नीलामी कमीशन / प्रशासनिक व्यय	
4.	ब्याज राशि	
5.	शास्ति राशि	
6.	अन्य राशि	
	कुल राशि	1909363=00

आंवटी से प्राप्त कुल राशि रुपये 1909363=00 एवं एक वर्ष की लीज राशि रुपये 98536=00 पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना की गई है। आंवटी की ओर से रुपये — की रसीद के स्टाम्प पेपर प्रस्तुत किये गये हैं, जो संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं, कृपया आपके स्तर पर भी स्टाम्प ड्यूटी राशि की गणना करावें ताकि पूर्ण राशि पर ही लीज–डीड पंजीकृत होवें।

(हस्ताक्षर) 09/02

निदेशक

राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र एवं

सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।

Scanned by CamScanner

नगर विकास न्यास,अलवर

पट्टा विलेख

न. वि. अ.

कार्यालय उप पंजीयक

राजस्थान सरकार

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2016 के माह फरवरी के 9 वे दिन नगर विकास न्यास, अलवर प्रथम पक्ष एवं **श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मूलासिंह, निवासी बी–114, सूर्य नगर, अलवर, (राज0)** द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कही प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम राशि 9,85,363/– अंकेन **नौ लाख पिच्यासी हजार तीन सौ तिरेसठ रुपये** मात्र तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकास के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगें, के एवज मं नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना **ग्राम गोलेटा, तहसील व जिला अलवर** के खसरा संख्या 170, जिसका राजस्व रिकर्ड के अनुसार क्षेत्रफल **7700.00 वर्गमीटर** है। और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरुपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रुप से इससे संलग्न नक्शें में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात : –

1. लीजधारक नगर विकास न्यास, अलवर के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर विकास न्यास, अलवर समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर वार्षिक रुपये 98,536/– अंकेन **अठ्यानवे हजार पॉच सौ छत्तीस रुपये/–** मात्र पेशगी अदा करेंगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरुप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। लीज धारक ने उक्त वर्णित नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर राशि 7,88,290/– रुपये अंकेन **सात लाख अठ्यासी हजार दौ सौ नब्बे रुपये** जर्ये रसीद क्रमांक 2197/25 दिनांक 02.02.2016 को जमा करवा दिये है। अतः इस पेटे अब कोई राशि जमा करानी शेष नही है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि : – पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।

उप पंजीयक
रामगढ़ (अलवर)

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ...
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

Scanned by CamScanner

01. भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय (ग्रुप हाऊसिंग) के लिए नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

02. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

03. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगें मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नही होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्ही पृथक, आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों मे जारी किये जायें, शासित होगें।

04. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलें मे, अन्तरिती के पक्ष में नाम के अन्तरण के लिए नगर विकास न्यास, अलवर को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों मे इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी।

05. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1965 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रुप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

06. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंधन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निमार्ग सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नही होगा।

07. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

उप पंजीयक
रामगढ़ (अलवर)

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना एवं
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

लीज मुक्ति प्रमाण पत्र

क्रमांक 5488/16 दिनांक 9-2-16

प्रेषितः–

श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मूलासिंह
निवासी–बी–114 सूर्य नगर, अलवर (राज0)

प्रमाण पत्र

(1) भू–स्वामी का नाम	:	श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री मूलासिंह
(2) भूखण्ड संख्या	:	RESIDENTIAL(GROUP HOUSING)
(3) खसरा नं0	:	170
(4) ग्राम	:	गोलेटा
(5) योजना का नाम	:	गोलेटा
(6) क्षेत्रफल (वर्गगज)	:	7700.00
(7) आवंटन की तिथि	:	
(8) वार्षिक शहरी जमाबन्दी की राशि	:	
(9) एकमुश्त शहरी जमाबन्दी की राशि (कॉलम 8 की 7 गुना राशि)	:	788,290.00
(10) कुल बकाया समस्त जमा राशि	:	

उपरोक्त राशि अक्षरे सात लाख अट्ठासी हजार दो सौ नब्बे रूपये ; रसीद संख्या/चालान संख्या 2197/25 दिनांक 2/2/16 द्वारा जमा करा दिये हैं।
अतः आवंटन की शर्त संख्या .... में अंकित अवधि के लिए अर्थात दिनांक .... से 99 वर्ष के लिए शहरी जमाबन्दी के भुगतान से उक्त भूखण्ड को मुक्त किया जाता है।

निदेशक 9/02
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना
एवं सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :– अलवर
राजस्व ग्राम :– गोलेटा
खसरा नं० 170, ग्राम गोलेटा, तह० व जिला अलवर
योजना का नाम ....
विस्तृत नाप सहित
क्षेत्रफल वर्ग गज/वर्गमीटर :– 7700.00 वर्गमीटर

पूर्व : – Others A.G. Land
उत्तर : – KH. No- 169
पश्चिम :– Road 60'-0" Wide
दक्षिण : – Road 30'-0" Wide

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर
आज सन 2015 के माह नवम्बर के ...... वें दिन
श्री ....
.... ने निम्न की उपस्थिति
में (स्थान) में हस्ताक्षर किये–

निदेशक
नगर विकास न्यास, अलवर
राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

साक्षी :–

1. नाम ....
पुत्र ....
व्यवसाय .... UIT ....
निवास स्थान ....

....
साक्षी

2. नाम ....
पुत्र ....
व्यवसाय ....
निवास स्थान ....

....
साक्षी

आज सन 20...... के माह ...... के ...... वें दिन
श्री ....
लीजधारक द्वारा कार्यालय .... में हस्ताक्षर किये–

....
लीजधारक –द्वितीय पक्ष

साक्षी :–

1. नाम .... नीरज शर्मा ....
पुत्र .... S/o बलराम शर्मा ....
व्यवसाय .... निजी ....
निवास स्थान .... 61, S.K. नगर, अलवर ....

....
साक्षी

2. नाम .... महेन्द्र गर्ग ....
पुत्र .... श्री वेदप्रकाश ....
व्यवसाय ....
निवास स्थान .... 65 आदर्श कॉलोनी 313352 ....

....
साक्षी

उप पंजीयक
अलवर (प्रथम)

Lease Deed

Scanned by CamScanner

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
SR OFFICE RAMGARH
RAMGARH
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No.	: 2016000625	Dated	: 10/02/2016
Presenter Name	: U. I. T ALWAR J INDRA PAL SINGH	Face Value	: 2106435
Presenter Address	: 114 SURYA NAGAR ALWAR		
Document Type	: LEASE DEED (More then 20 YEARS Only Rent)		
Claimant Name	: INDAR PAL SINGH, B-114 SURYA NAGAR ALWAR		
Document S. No.	: 2016000830	Stamp Value	: 0

Ordinary Registration Fee	: 21070	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 105330
Surcharge on Stamp Duty	: 10540		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 137240

---Already Paid---

E-Stamp No : / Amount : 0

(Paid) - DD No. : / Amount : 0
DD Drawn Bank : / 10/02/2016

(Paid) - EGRAS GRN No. : / Amount : 0
Deposit Bank : / Date : 10/02/2016

(Paid) - E-Stamp Id No. : INRJ049973671239070 / Amount : 115870
E-Stamp Date : 10/02/2016

(Paid) - E-Mitra Token No. : / Amount : 0
E-Mitra Token Date : 10/02/2016

(Paid) - SHCIL Recpt No. : RJ 1510571602257 / Amount : 21370 ,
SHCIL Receipt Date : 10/02/2016

(Paid) - Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date : 10/02/2016

Amount Rs. One Lakh Thirty Seven Thousand Two Hundred Forty only

Cashier

Sub Registrar, RAMGARH

कार्यालय उप पंजीयक
राजस्थान
सरकार
रामगढ़ (अलवर) राज०

S
1
2.
3.

आज दिनांक 10 माह February सन् 2016 को 14:48 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री U.I.T ALWAR J INDRA PAL SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOOLA SINGH
उम्र 0 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय BUSS
निवासी 114 SURYA NAGAR ALWAR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता   हस्ताक्षर उप पंजीयक, RAMGARH
(2016000830)
(Lease Deed [Rent](< 20 Years) Residential)

रसीद नं0 2016000625 दिनांक 10/02/2016
पंजीयन शुल्क रू0 21070/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 105330/-
सरचार्ज 10540/-
कुल योग रू0 137240/-

(2016000830)   उप पंजीयक, RAMGARH
(Lease Deed [Rent](< 20 Years) Residential)

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 2106435
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 105330 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 21070 कुल रूपये 137240
जरिये रसीद संख्या 2016000625 दिनांक 10/02/2016
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 105330
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2016000830)   उप पंजीयक, RAMGARH
(Lease Deed [Rent](< 20 Years) Residential)

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-U.I.T ALWAR J INDRA PAL SINGH /MOOLA SINGH
Age 0, Caste-JAT
Ocu.-BUSS
R/O-114 SURYA NAGAR ALWAR

(And Claimant)
1-INDAR PAL SINGH/MOOLA SINGH
Age 0, Caste-JAT
Ocu.-BUSS.
R/O-B-114 SURYA NAGAR ALWAR

ने लेख्यपत्र Lease Deed [Rent](< 20 Years) Residential को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री KAMAL SAINI
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAMKISHOR उम्र 0 वर्ष
जाति SAINI व्यवसाय STAMP WENDER
निवासी RAMGARH

2. श्री / श्रीमती / सुश्री MOTI LAL
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MANGTURAM उम्र 0 वर्ष
जाति GURJAR व्यवसाय FARMER
निवासी RAMGARH ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।

(2016000830) उप पंजीयक, RAMGARH
(Lease Deed [Rent](< 20 Years) Residential)

आज दिनांक 10/02/2016 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 643
में पृष्ठ संख्या 43 क्रम संख्या 2016000540 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2021
के पृष्ठ संख्या 175 से 180 पर
चस्पा किया गया।

(2016000830) उप पंजीयक, RAMGARH
(Lease Deed [Rent](< 20 Years) Residential)

Scanned by CamScanner

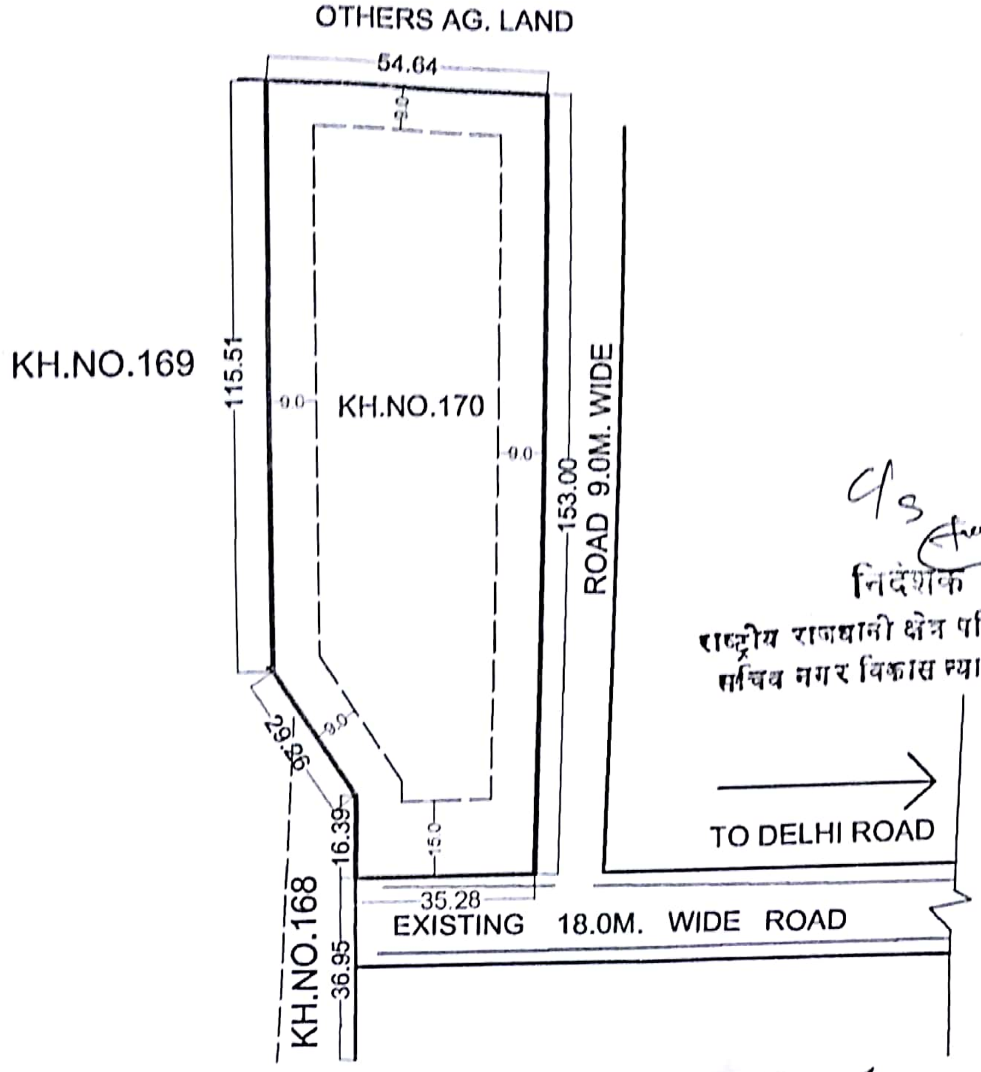

निदेशक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना
सचिव नगर विकास न्यास, अलवर

DETALS :-

(1) LAND AREA = 7700.0 SQM.

(2) PERMISSIBLE FAR :- 1.33

3) PERMISSIBLE HT. :- 27.0 M.

(4) LAND AREA SHOWN ▭

(5) VINIYAM 2013 SHOULD BE APPLICABLE

उप पंजीयक
रामगढ़ (अलवर)

U.I.T. ALWAR	SITE PLAN OF FOR RESIDENTIAL (GROUP HOUSING) LAND IN KH. NO :- 170 VILLAGE GHOLETA TEH. RAMGARH AT ALWAR		
	DRN BY 2/12/15	SCALE :- 1"= 20'-0"	CHECKED BY- 2/12/15
N ↔ S	T. P. A.	A. T. P. 2/12/15	EX.ENGINEER

URBAN IMPROVEMENT TRUST, ALWAR

Scanned by CamScanner

नकल फोटो प्रति

जमाबन्दी

DISTT. COLLECTOR (L.R.) ALWAR

जिला कलक्टर (भू.अ.) अलवर | प्रपत्र पी. 26

जमाबन्दी गाँव : गोलेटा | पटवार क्षेत्र : केसरोली | भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र : बहाला | पृष्ठ नं.: जम्रा .

तहसील : रामगढ़ | जिला : अलवर | दिनांक : 22/12/2009

सम्वत् : 2066 - 2069 | सन् 2066

क्षेत्रफल : क्षेत्रफल हेक्टेयर मे

खेवट (खतोनी) नया	खेवट (खतोनी) पुराना	भूमि धारकों का नाम	काश्तकार का नाम, पिता, जाति तथा निवास स्थान के पता सहित तथा कृषि काल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	देय लगान दर	देय लगान रकम	नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टयाँ जिसके पक्ष भूमि अन्तरित हो	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						चाही सोयम 2.8600			40.04			
						गै.मु.चाह 0.0700						
183	165	राज. सरकार	हरला रतनलाल पि.खेराती समभाग चमार सा.देसूला खातेदार	170	0.7700	बारानी I 0.7700		7	5.39		इं.न. 372 से बेचान बहक मुल्लुराम पुत्र खुगडाराम जाति जाट 27-4/012 सा.गाम खुदनपुरी तहसील अलवर खातेदार . इं.न. 440 से आदेश बहक प्राधिकारी नगर विकास 16/9/013 न्यास अलवर	
कुल:			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल =	0.7700	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल			5.39			
						बारानी I 0.7700			5.39		नोट - नकल 35 रजि क्रमांक 184 16/9/013 पर जारी की गई	
184	166	राज. सरकार	हरलाल पुत्र सुबराती चमार सा.देसूला खातेदार	9	0.3800	बारानी सोयम 0.3800		4	1.52			
कुल:			कुल खसरा = 1	कुल क्षेत्रफल =	0.3800	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल			1.52			
						बारानी सोयम 0.3800			1.52			
185	167	राज. सरकार	हरसहाय पुत्र हरचन्द गूजर सा. कमालपुर खातेदार	600	0.0900	चाही सोयम 0.0900	598	14	1.26			
				729	0.6200	चाही सोयम 0.6200	598	14	8.68			
				731	0.4000	चाही सोयम 0.4000	598	14	5.60			
कुल:			कुल खसरा = 3	कुल क्षेत्रफल =	1.1100	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल			15.54			
						चाही सोयम 1.1100			15.54			
186	168	राज. सरकार	हरिशचन्द रोशनलाल पि.बसन्तलाल खत्री सा.देह हालवासी सी.22 मोहनगार्डन नई दिल्ली खातेदार रकबा 337.74 व.मी.गै.मु.आबादी व राकेशकुमार पुत्र योगराज चुग सा.हाउसिंगबोर्ड मन्नूमार्ग अलवर खातेदार	827/560	0.0200	बारानी सोयम 0.0200		4	0.08			
स्थगन आदेश अपर जिला न्यायाधीश न.2 अलवर				828/559	0.0300	गै.मु.आबादी 0.0300						
कुल:			कुल खसरा = 2	कुल क्षेत्रफल =	0.0500	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल			0.08			
						बारानी सोयम 0.0200			0.08			
						गै.मु.आबादी 0.0300						
187	170	राज. सरकार	हसन ईसब इसराईल पि. सरसमल हि.7/24 बस्सी बेवा सरसमल हि.1/24 मम्मल छुटमल पि.मलखा स.भा. हि.2/3 जाति मेव सा.देसूला खातेदार	60	0.2800	बारानी सोयम 0.2800		4	1.12		इं.न. 246 से विरासत छुटमल बहक गबरुदीन पुत्र छुटमल 5/10/010 हि. 5/18 इमरान पुत्र नसरू, जहरी बेवा नसरू 1/18 हि. जाति मेव सा. देसूला खातेदार,	
				78	0.4700	बारानी सोयम 0.4700		4	1.88		इं.न. 267 से बेचान बहक भगवती चक्रवर्ती पत्नि मानसिंह चाहर 26/11/010 जाति जाट सा. सर्वोदय नगर भरतपुर रिकोड़ा	
				79	0.4700	बारानी सोयम 0.4700		4	1.88			
				59	0.0600	बारानी सोयम 0.0600		4	0.24			
				नोट : नामान्तरकरण अंकित है।								

प्रमाणित फोटो प्रति
पटवारी
प० म० केसरोली

स्थानान्तरण वर्गीकरण खातेदार रकबा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर

मामला सं0 – 103 वर्ष –2013

श्री भूल्लू राम जाटव पुत्र सुगडा राम जाटव निवासी खुदनपुरी तह0 व जिला अलवर।

आवेदक

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

दिनांक 12.9.13

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है : –

(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का **आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है: –

तहसील और जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं0	क्षेत्र (हैक्टयर)
अलवर	गोलेटा	170	0.77
		कुल किता = 01	कुल रकबा = 0.77

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रुप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(3) यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैनें संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। अतः मेरी यह राय है कि खसरा नं0 170 भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरुप है। और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनायें गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम गोलेटा तह0 व जिला अलवर के खसरा नम्बर 170 कुल किता 01 कुल रकबा 0.77 है0 भूमि में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का **आवासीय (ग्रुप हाउसिंग)** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदको/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू

from-11R(order)

12.09.13

विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आबंटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि कों, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अद्योहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 12.9.13 को पारित किया गया।

— Sd/—
प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, अलवर
दिनांक 12.9.13

सं. 9.5/1152

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रषित की गयी : –

1. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
2. तहसीलदार, रामगढ, अलवर को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अद्योहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्री भूल्लू राम जाटव पुत्र सुगडा राम जाटव निवासी खुदनपुरी तह0 व जिला अलवर।

12.09.13
प्राधिकृत अधिकारी
नगर विकास न्यास, अलवर